पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

Punjab & Sind Bank
(A Government Of India Undertaking)

Where service is a way of life

ई–नीलामी बिक्री सूचना

क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली
97/2, तुलाशेरपुर पीलीभीत बाईपास रोड बरेली, उ.प्र.–243122
दूरभाष : 0581–2510513 ई–मेल : ro.bareilly@psb.bank.in

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन नियम, 2002) के नियम 8 (6) के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना । ["परिशिष्ट IV-A"]

ई–नीलामी तिथि व समय : 27.11.2026 प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01 बजे तक

बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 25.11.2026 शाम 5:00 बजे तक

संपत्ति निरीक्षण तिथि व समय : 25.11.2026 प्रातः 10:00 बजे से 04 बजे तक

सामान्य रूप से आम जनता को और विशेष रूप से ऋणी और जमानतकर्ता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास बंधक है, जिसका सांकेतिक कब्जा पंजाब एंड सिंध बैंक, सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है। उक्त संपत्ति की बिक्री से बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए "जैसा है जहां है", "जैसा है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा।

बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट https://baanknet.com पर प्रदान किए गए ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं	शाखा/ऋणी/बन्धककर्ता/जमानतकर्ता का नाम व पता	सम्पत्ति एवं स्वामी का विवरण	मांग सूचना तिथि मांग पत्र 13(2) में अंकित राशि	आरक्षित मूल्य ईएमडी राशि वृद्धि राशि
1.	शाखा : अहारो (A8547) 1. मैसर्स ताज पैलेस प्रोपराइटर श्री मकसूद (उधारकर्ता), खाता संख्या–00031, गाटा संख्या–1340, ग्राम महतोश, सरदार एम.एस. इंटर कॉलेज के निकट, महतोश एवेन्यू, बिलासपुर–शीशगढ़ रोड, तहसील बिलासपुर, जनपद रामपुर, उत्तर प्रदेश–244921। 2. श्री मकसूद पुत्र श्री अहमद नबी (प्रोपराइटर/बंधककर्ता), निवासी ग्राम महतोश, डाकघर बेगमाबाद, तहसील बिलासपुर, जनपद रामपुर, उत्तर प्रदेश–244921। 3. श्री अमीर हसन पुत्र श्री अहमद नबी (जमानती/बंधककर्ता), निवासी ग्राम महतोश, डाकघर बेगमाबाद, तहसील बिलासपुर, जनपद रामपुर, उत्तर प्रदेश–244921। 4. श्री सफदर हुसैन पुत्र श्री अहमद नबी (जमानती/बंधककर्ता), निवासी ग्राम महतोश, डाकघर बेगमाबाद, तहसील बिलासपुर, जनपद रामपुर, उत्तर प्रदेश–244921। 5. श्री महबूब आलम पुत्र श्री अहमद नबी (जमानती/बंधककर्ता), निवासी मकान संख्या–254, ग्राम महतोश, डाकघर बेगमाबाद, टहरी खास्ता, तहसील बिलासपुर, जनपद रामपुर, उत्तर प्रदेश–244921।	संपत्ति संख्या–1 : अचल संपत्ति खाता संख्या–00031, गाटा संख्या–1340, जिसका क्षेत्रफल 0.1210 हेक्टेयर है जो श्री सफदर हुसैन एवं श्री महबूब आलम के नाम पर ग्राम महतोश, तहसील बिलासपुर, जनपद रामपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है, सिफ्ट डीड क्रम संख्या–360, बही संख्या–1, जिल्द संख्या–4156, पृष्ठ संख्या–65 से 78, दिनांक 11.01.2024 को सब–रजिस्ट्रार कार्यालय, बिलासपुर, जनपद रामपुर में पंजीकृत है। चौहद्दी निम्नवत् है :पूरब : लिंक रोड, पश्चिम : बूटा सिंह की संपत्ति, उत्तर : बूटा सिंह की संपत्ति, दक्षिण : प्रास्तकर्ता (डोनी) की संपत्ति। संपत्ति संख्या–2 : अचल संपत्ति खाता संख्या–00031, गाटा संख्या–1340, जिसका क्षेत्रफल 0.1210 हेक्टेयर है जो श्री मकसूद एवं श्री अमीर हसन के नाम पर ग्राम महतोश, तहसील बिलासपुर, जनपद रामपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिफ्ट डीड क्रम संख्या–381, बही संख्या–1, जिल्द संख्या–4158, पृष्ठ संख्या–79 से 92, दिनांक 11.01.2024 को उप–रजिस्ट्रार कार्यालय, बिलासपुर, जनपद रामपुर में पंजीकृत है। चौहद्दी निम्नवत् है : पूरब : लिंक रोड, पश्चिम : बूटा सिंह की संपत्ति, उत्तर : दाताओं (डोनर्स) की संपत्ति, दक्षिण : छोटे की संपत्ति।	10-10-2025 रू0 39,04,372.24 (रुपये उनतालीस लाख चार हजार तीन सौ बहत्तर एवं चौबीस पैसे मात्र) दिनांक 01.10.2025 तक, तथा इसके अतिरिक्त अन्य प्रभार, यदि कोई हों।	Rs. 77,44,000 Rs. 7,74,400 Rs. 78,000

प्राधिकृत अधिकारी का नाम और संपर्क नंबर : श्री शांतनु त्रिपाठी (अहारो) एवं संपर्क नंबर 8253617927

ईएमडी को बोलीदाता द्वारा ई–नीलामी पोर्टल https://abkray.in@BYNEFT/RTGS/CHALLAN पर उपलब्ध कराए गए अपने वॉलेट में स्थानांतरित किया जाना है।

उस खाते का विवरण जिसमें ईएमडी के बाद शेष राशि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा की जानी है : खाते का नाम– एनईएफटी पार्किंग खाता; खाता नंबर– 80176040070003; आईएफएस कोड– PSIB0000617,

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया https://punjabandsindbank.co.in/module/sarfaesi-list और https://baanknet.com/ देखें।

नोट : इस नोटिस को नियम 8(6) सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम–2002 के तहत उधारकर्ताओं और गारंटरों (पृष्ठ/ए) को 15 दिनों की वैधानिक बिक्री नोटिस के रूप में भी माना जाना चाहिए।

दिनांक : 10.11.2026 स्थान: अहारो

प्राधिकृत अधिकारी पंजाब एण्ड सिंध बैंक